<u>न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 1, सीकर (राज0)</u>

पीठासीन अधिकारी – मानसी शर्मा, आर.जे.एस

एफ.आई.आर. सं. – 179/2026 पुलिस थाना सदर जिला सीकर

(1)– जमानत प्रार्थना पत्र (सी.आई.एस. संख्या) 154/2026

राजेन्द्र प्रसाद बावरिया पुत्र सुरेश कुमार बावरिया उम्र 20 साल निवासी जालूण्ड पुलिस थाना खाटूश्यामजी सदर जिला सीकर

...प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी

(2)– जमानत प्रार्थना पत्र (सी.आई.एस. संख्या) 153/2026

– पन्नालाल पुत्र फूलचन्द उम्र 21 साल निवासी रायपुरा थाना रानोली जिला सीकर

....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिए सहायक अभियोजन अधिकारी

<u>अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 राजस्थान आबकारी अधिनियम</u>

<u>जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023</u>

उपस्थितः–

1. सहायक अभियोजन अधिकारी वास्ते राज्य ।
2. श्री शंकरलाल सैनी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद की ओर से।
3. श्री शंकरलाल सेवदा, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त पन्नालाल की ओर से।

<u>– आ दे श –</u> **दिनांकः 21.05.2026**

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ, जिसकी नकल सहायक अभियोजन अधिकारी को दिलाई गई। जमानत प्रार्थना पत्र पर सुना गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त जमानत प्रार्थना पत्र एक ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 179/2026 पुलिस थाना सदर सीकर से संबंधित होने के कारण सुविधा की दृष्टि से उक्त दोनों प्रार्थना पत्रों का निस्तारण एक साथ किया जा रहा है।
2. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की बहस रही है कि उपरोक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को

कतई झूंठा फंसाया गया है, वे कतई निर्दोष व्यक्ति हैं। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर ऐसा कोई आरोप आरोपित नहीं है, जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु दण्ड की सजा का कोई प्रावधान हो। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण मजदूरी पेशा व्यक्ति हैं, जिनके न्यायिक अभिरक्षा में रहने से इनके परिवार के समुख भूखा मरने की नौबत आ जायेगी। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा गवाहान पेशी को बहकाने का कोई अंदेशा नहीं है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण माननीय अदालत के आदेशानुसार मौतबीर जमानत व मुचलके पेश करने को तैयार है, इसलिए प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत का लाभ दिया जावे।

3. इसके विपरीत सहायक अभियोजन अधिकारी ने उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया।

4. बहस पर मनन किया। केस डायरी का अवलोकन किया गया। केस डायरी के अवलोकन के मुताबिक प्रार्थी/अभियुक्त राजेन्द्र प्रसाद का आपराधिक रिकॉर्ड निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	**मुकदमा संख्या**	**धारा**	**चार्जशीट नंबर**
1.	27/25	136 विद्युत अधिनियम	74/25 दिनांक 25.09.25

5. इस प्रकार केस डायरी के अवलोकन से न्यायालय के समक्ष आया है कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के कब्जे से कुल 96 पव्वे घूमर देशी सादा शराब के बरामद किये जाने के तथ्य अंकित है। प्रकरण के अनुसंधान व अन्वीक्षा में समय लगने की संभावना है, प्रकरण इसी न्यायालय द्वारा विचारणीय है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण से किसी प्रकार की बरामदगी शेष नहीं है। अनुसंधान पत्रावली पर प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के विरूद्ध पूर्व की दोषसिद्धि बाबत् किसी प्रकार की कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है।

6. अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों व जप्तशुदा शराब की मात्रा को देखते हुए एवं मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय के विनम्र मत में जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 480 बीएनएसएस स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

7. अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण **(1) राजेन्द्र प्रसाद बावरिया पुत्र सुरेश कुमार बावरिया उम्र 20 साल निवासी जालूण्ड पुलिस थाना खाटूश्यामजी सदर जिला सीकर, (2) पन्नालाल पुत्र फूलचन्द उम्र 21 साल निवासी रायपुरा थाना रानोली जिला सीकर** का

यह जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 480 बीएनएसएस **स्वीकार** किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थी/अभियुक्त **20,000/– रूपये** का स्वयं का मुचलका एवं इसी राशि की जमानत न्यायालय के समाधानप्रद प्रस्तुत कर तस्दीक करा दें, तो उन्हें जमानत पर रिहा किया जावे, अन्यथा न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जावें। आदेश सुनाया गया।

(मानसी शर्मा)
न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम 1, सीकर

प्रामाणिक दस्तावेज

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.05.30 11:41:01 IST